UPRB010065592022

न्यायालय अष्टम अपर सत्र न्यायाधीश/ विशेष न्यायाधीश (एन०डी०पी०एस० एक्ट), रायबरेली।

पीठासीन अधिकारी–अभिषेक सिन्हा, (उच्चतर न्यायिक सेवा) – UP01640

फौजदारी वाद संख्या- 1368/2022

उ० प्र० राज्य --- अभियोगी

बनाम

त्रिपुरारी गिरी पुत्र श्याम गिरी
निवासी– पिण्डारा,
थाना– मुसाफिरखाना, जनपद– अमेठी।

———————— अभियुक्त

मु०अ०सं०- 124/2022
धारा- 8/20 एन०डी०पी०एस० एक्ट
थाना- फुरसतगंज, जनपद- अमेठी।

क्रम सं०	विचारण का विवरण	दिनांक
1.	बरामदगी की तिथि	29.08.2022
2.	प्रथम सूचना रिपोर्ट की तिथि	29.08.2022
3.	आरोपपत्र न्यायालय प्रेषित किये जाने की तिथि	11.09.2022
4.	आरोपपत्र पर संज्ञान लेने की तिथि	24.09.2022
5.	अभियुक्त के विरूद्ध आरोप विरचित होने की तिथि	21.03.2025
6.	अभियोजन साक्ष्य प्रारम्भ होने की तिथि	18.04.2025
7.	अभियोजन साक्ष्य समाप्त होने की तिथि	20.11.2025
8.	अभियुक्त के बयान अंतर्गत धारा 351 बी०एन०एस०एस० अंकित किये जाने की तिथि	05.05.2026
9.	अभियोजन व बचाव पक्ष की बहस सुने जाने की तिथि	09.07.2026

निर्णय

1. प्रस्तुत फौजदारी वाद में थाना फुरसतगंज, जनपद अमेठी की पुलिस द्वारा अभियुक्त त्रिपुरारी गिरी पुत्र श्याम गिरी निवासी पिण्डारा थाना मुसाफिरखाना जनपद अमेठी के विरुद्ध

मु०अ०सं० 124/2022, अन्तर्गत धारा 8/20 एन०डी०पी०एस० एक्ट के अन्तर्गत आरोप पत्र विचारण हेतु न्यायालय में प्रेषित किया गया है।

अभियोजन कथानक

2. संक्षेप में अभियोजन कथानक इस प्रकार है कि दिनांक 29/8/22 को वादी मुकदमा उ0नि0 मय हमराह मु०आ० सोनू यादव व आरक्षी रंजीत सिंह के बहवाले रो० आ० तारीखी इमरोजा रवाना होकर देखभाल क्षेत्र, रोकथाम जुर्म जरायम व चेकिंग संदिग्ध वाहन / व्यक्तियों के थाना हाजा से रवाना होकर कस्बा फुरसतगंज में स्टेशन रोड तिराहे पर चेकिंग कर रहे थे कि मुखबिर खास ने आकर सूचना दिया कि एक व्यक्ति ब्रह्मनी गाँव की तरफ से एक प्लास्टिक के थैले में अवैध गाँजा लेकर आ रहा है, जो सफेद टी शर्ट व हाफ पैंट पहने है, जो मुख्य मार्ग रायबरेली गौरीगंज की तरफ आ रहा है। जल्दी किया जाये तो पकड़ा जा सकता है। मुखबिर की सूचना पर विश्वास कर हमराहीगणों को मकसद से अवगत कराकर एक– दूसरे की जामा तलाशी आपस में लेकर कि किसी के पास कोई संदिग्ध वस्तु नहीं है, मुखबिर को साथ लेकर ब्रह्मनी मोड़ की तरफ आया तो ब्रह्मनी मोड़ से पहले मुखबिर ने इशारा कर बताया कि मोड़ के पास खड़ा व्यक्ति हाथ में झोला लिए खड़ा है, वही व्यक्ति है और मुखबिर पीछे मुड़कर चला गया। पुलिस वाले जैसे ही उस व्यक्ति के पास पहुंचकर अपने– अपने वाहन खड़े किये तो वह व्यक्ति पुलिस वालों को देखकर ब्रह्मनी की तरफ भागने की कोशिश किया कि पुलिस वालों ने घेर– घार कर मुख्य मार्ग से ब्रह्मनी की तरफ करीब 20–25 आगे पकड़ लिया। पकड़े हुए व्यक्ति का नाम पता पूछते हुए हाथ में लिए झोले के संबन्ध में पूछा गया तो उसने अपना नाम त्रिपुरारी गिरी पुत्र श्याम गिरी निवासी पिण्डारा थाना मुसाफिरखाना जनपद अमेठी बताते हुए माफी मांगने लगा और बताया कि साहब माफ कर दीजिए, मेरे हाथ में जो प्लास्टिक का थैला है, उसमे अवैध गांजा है। पकड़े गये व्यक्ति को धारा 50 NDPS ACT में प्रदत्त अधिकारों से अवगत कराते हुए बताया गया कि आप अपने पास गांजा होने की बात बता रहे हो तो अब आपकी जामा तलाशी किसी राजपत्रित अधिकारी या मजिस्ट्रेट के समक्ष होगी तो वादी मुकदमा उ0नि0 द्वारा राजपत्रित अधिकारी व मजिस्ट्रेट से सम्पर्क करने का प्रयास किया गया, परन्तु सम्पर्क नहीं हो इतने में पकड़े गये व्यक्ति त्रिपुरारी गिरी ने कहा मैं पकड़ गया हूं और आपको सही – सही बता भी दिया है। मैं कहीं जाकर अपनी तलाशी देकर और साक्ष्य इकट्ठा नहीं करना चाहता हूँ। आप ही मेरी जामा तलाशी ले लें, मैं आपकी जामा तलाशी से सन्तुष्ट हूँ। मैं सहमति दे रहा हूँ। पकड़े गये व्यक्ति से सहमति पत्र तैयार कर हस्ताक्षर बनवाया गया। पकड़े गये व्यक्ति को जुर्म व धारा से अवगत कराते हुए समय 11.50 बजे हिरासत पुलिस लेकर हाथ में लिए झोले में देखा गया तो उसमें पन्नी में बंधा गांजा बरामद हुआ, जिसको विवेचक के पास इलेक्ट्रानिक तराजू से तौला गया गया तो एक पन्नी में बंधे बन्डल का वजन 01 किलो 100

ग्राम है, जिसमें 100 ग्राम तराजू से तौल कर अलग किया गया। गिरफ्तार व्यक्ति से गांजा रखने का लाइसेन्स तलब किया गया तो दिखाने से कासिर रहा और माफी मांगते हुए कहा कि साहब मुझे छोड़ दीजिए, मैं गांजा बेचकर अपना तथा अपने परिवार का खर्चा चलाता हूं। जुर्म व धारा से अवगत कराते हुए बताया कि यह धारा 8/20 NDPS ACT का अपराध है। माल कब्जा पुलिस लेकर गवाही हेतु वहां खड़े राहगीरों से गवाही हेतु कहा गया तो खड़े राहगीर अपना नाम पता बताये बिना हट बढ़ गये। बरामद माल व नमूना माल को अलग अलग पन्नी में रखकर सफेद कपड़े में सिलकर सर्व मोहर कर नमूना मोहर बनाया गया। दौराने गिरफ्तारी माननीय सर्वोच्च न्यायालय व मानवाधिकार आयोग के आदेशों निर्देशों का पालन करते हुए गिरफ्तारी की सूचना अभियुक्त के पिता श्याम गिरी को मो० नं0 8090573560 पर दी गयी। फर्द मौके पर वादी मुकदमा द्वारा तैयार की गयी तथा गिरफ्तारी मेमों तैयार कर फर्द व गिरफ्तारी मेमो पर सर्व सम्बन्धित के हस्ताक्षर बनवाये जा रहे हैं।

3. उक्त फर्द बरामदगी के आधार पर अभियुक्त त्रिपुरारी गिरी के विरुद्ध प्रथम सूचना रिपोर्ट मुकदमा अपराध संख्या 124/2022, अन्तर्गत धारा 8/20 स्वापक औषधि एवं मनोत्तेजक पदार्थ अधिनियम, थाना फुरसतगंज, जिला अमेठी पंजीकृत की गयी। विवेचक द्वारा विवेचना ग्रहण करने के पश्चात घटना स्थल पर पहुंचकर मौके का निरीक्षण कर नक्शा– नजरी तैयार किया गया तथा गवाहान का बयान लिया गया एवं विवेचना से संबंधित कार्यवाही पूर्ण करने के पश्चात् अभियुक्त त्रिपुरारी गिरी के विरुद्ध पर्याप्त साक्ष्य पाते हुए आरोप पत्र अन्तर्गत धारा 8/20 एन०डी०पी०एस० एक्ट में न्यायालय में प्रेषित किया गया। आरोप पत्र न्यायालय में प्राप्त होने पर न्यायालय द्वारा आरोप पत्र पर दिनांक 24.09.2022 को प्रसंज्ञान लिया गया।

4. तत्पश्चात, अभियुक्त त्रिपुरारी गिरी के विरुद्ध आरोप दिनांक 21.03.2025 को स्वापक औषधि एवं मनोत्तेजक पदार्थ अधिनियम की धारा 8/20 के अन्तर्गत विरचित किया गया। अभियुक्त ने उक्त आरोप से इन्कार किया तथा परीक्षण की याचना की।

<u>विचारण कार्यवाही</u>

5. विचारण के अनुक्रम में अभियोजन की ओर से मौखिक साक्ष्य के रूप में निम्नलिखित साक्षीगण को परीक्षित कराया गया है–

क्रम सं०	नाम साक्षी	साक्षी का पद व साक्षी संख्या	साक्ष्य का दिनांक
1.	महेश प्रसाद, रिटायर्ड उप निरीक्षक	वादी मुकदमा– पी०डब्लू० 1	18.04.2025
2.	अर्चना सिंह, महिला कांस्टेबल	एफ०आई०आर० लेखक– पी०डब्लू० 2	14.10.2025
3.	सोहन लाल, रिटायर्ड उप निरीक्षक	विवेचक – पी०डब्लू० 3	20.11.2025

6. विचारण के अनुक्रम में अभियोजन द्वारा प्रलेखीय साक्ष्य के रूप में निम्नलिखित अभिलेखों को प्रमाणित कराया गया है–

क्रम सं०	**अभियोजन प्रलेख**	**प्रदर्श संख्या**	**प्रमाणितकर्ता**
1.	सहमति पत्र	प्रदर्श क–1	वादी मुकदमा पी०डब्लू०– 1
2.	गिरफ्तारी मेमो	प्रदर्श क–2	वादी मुकदमा पी०डब्लू०– 1
3.	फर्द बरामदगी	प्रदर्श क– 3	वादी मुकदमा पी०डब्लू०– 1
4.	चिक एफ 0 आई 0 आर 0	प्रदर्श क– 4	एफ०आई०आर० लेखक पी०डब्लू०– 2
5.	कायमी जी०डी०	प्रदर्श क– 5	एफ०आई०आर० लेखक पी०डब्लू०– 2
6.	नक्शा नजरी	प्रदर्श क– 6	विवेचक पी०डब्लू०– 3
7.	आरोप पत्र	प्रदर्श क– 7	विवेचक पी०डब्लू०– 3

7. अभियोजन द्वारा अभियुक्त त्रिपुरारी गिरी से बरामद किये गये माल मुकदमाती को वादी मुकदमा महेश प्रसाद पी०डब्लू०– 1 द्वारा वस्तु प्रदर्श 1 के रूप में प्रमाणित कराया गया है तथा विधि विज्ञान प्रयोगशाला की रिपोर्ट को प्रदर्श क–8 के रूप में प्रदर्शांकित किया गया है।

8. अभियोजन साक्ष्य के उपरान्त अभियुक्त के बयान अन्तर्गत धारा 313 दं०प्र०सं०/351 बी०एन०एस०एस० दिनांक 26.11.2025 को अभिलिखित किये गये, जिसमें अभियुक्त ने अभियोजन साक्षीगण के बयान व अभियोजन प्रपत्रों को गलत बताया एवं गवाहों द्वारा झूठी गवाही देने का कथन किया है। अभियुक्त द्वारा कोई सफाई साक्ष्य नहीं देने का कथन किया गया।

अभियोजन पक्ष का साक्ष्य

9. अभियोजन की ओर से अपने कथानक को प्रमाणित करने हेतु सर्वप्रथम वादी मुकदमा, रिटायर्ड उप निरीक्षक महेश प्रसाद को पी०डब्ल्यू०–1 के रूप में परीक्षित कराया गया, जिसने अपनी मुख्य परीक्षा में सशपथ कथन किया कि वह दिनांक 29.08.2022 को थाना फुरसतगंज में बतौर उप निरीक्षक तैनात था। उक्त तिथि में उसके हमराह के रूप में मुख्य आरक्षी सोनू यादव, कां0 रंजीत सिंह के साथ थाने से रवाना होकर जांच संदिग्ध व्यक्ति व वाहन फुरसतगंज कस्बे में स्टेशन रोड तिराहे पर मुखबिर ने सूचना दिया था कि एक व्यक्ति ब्रह्मनी गांव की तरफ से प्लास्टिक के थैले में गांजा लेकर आ रहा है, जो सफेद टी–शर्ट व हाफ पैंट पहने है, जो रायबरेली– गौरीगंज की तरफ आ रहा है। मुखबिर की सूचना पर विश्वास करके हमराहीगण को सूचना से अवगत कराया तथा एक दूसरे की जामा तलाशी ले देकर इत्मिनान किया कि किसी के पास कोई अवैध वस्तु नहीं है और ब्रह्मणी मोड़ से पहले मुखबिर ने मोड़ के पास जो झोला

लिए व्यक्ति खड़ा है, उसी के पास गांजा है, बता कर मुखबिर चला गया। जैसे ही वे लोग अपने– अपने वाहन उसके पास खड़ा किया, वह उन लोगों को देखकर ब्रह्मणी गांव की तरफ भागने लगा। जिसे उन लोगों ने 20 से 25 कदम की दूरी पर दौड़ा कर पकड़ लिया। पकड़े गए व्यक्ति से नाम पता व भागने का कारण पूछा गया तो अपना नाम त्रिपुरारी गिरी पुत्र श्याम गिरी निवासी पिण्डारा थाना मुसाफिरखाना जनपद अमेठी बताया और कहा कि साहब मेरे पास जो प्लास्टिक थैला है, इसमें गांजा है, जिससे पकड़े जाने के कारण भाग रहा था। व्यक्ति के द्वारा मादक पदार्थ की जानकारी होने पर धारा 50 एनडीपीएस एक्ट के अंतर्गत उसके अधिकारों से अवगत कराया कि आपकी जामा तलाशी किसी राजपत्रित अधिकारी/ मजिस्ट्रेट के समक्ष चलकर या उन्हें यहां बुलाकर दे दो। उसके मना करने पर उसके द्वारा सहमति पत्र तैयार कर, पढ़कर, सुनाकर उसके हस्ताक्षर बनवाए थे। सहमति पत्र शामिल पत्रावली 10 क, जिसे देखकर साक्षी ने अपने हस्तलेख में होने की पुष्टि किया, जिस पर प्रदर्श क– 1 डाला गया। तत्पश्चात उसके द्वारा उसकी जामा तलाशी ली गई तो हाथ में लिए झोले को खोलकर देखा गया तो पन्नी में गांजा बरामद हुआ। मौजूद विवेचना किट से गांजे का वजन किया गया तो कुल वजन 01 किलो 100 ग्राम प्राप्त हुआ, जिसमें से 100 ग्राम माल नमूना हेतु अलग कर शेष एक किलोग्राम उसी झोले में रखकर पन्नी में रखकर सफेद कपड़े में रखकर सील सर्व मोहर कर नमूना मोहर तैयार किया था। बरामद माल रखने के संबंध में कागजात मांगे गए तो नहीं दिखा सका, जिसे उसके अपराध से अवगत कराया कि आप द्वारा कारित यह कृत्य धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट की हद को पहुंचता है। बताकर माल सहित 11:50 बजे कब्जा पुलिस लिया गया। गिरफ्तारी मेमो मौके पर तैयार कर सर्व संबंधित के हस्ताक्षर करवाए गए थे, जो शामिल पत्रावली 12क/1 है, जिस पर साक्षी ने अपने हस्तलेख व हस्ताक्षर की पुष्टि किया, जिस पर प्रदर्श क– 2 डाला गया। फर्द मौके पर लिखकर, पढ़कर, सुनाकर सर्व संबंधित के हस्ताक्षर बनवाए गए थे, जो शामिल पत्रावली 3क/3 है, जिसे देखकर साक्षी ने अपने हस्तलेख व हस्ताक्षर की पुष्टि किया, जिस पर प्रदर्श क–3 डाला गया। उसका बयान विवेचक ने लिया था। उसकी निशांदेही पर विवेचक ने मौके की स्थिति को अपनी नक्शा नजरी में यथास्थान प्रदर्शित किया है। अभियुक्त से बरामद शुदा माल नमूना रूप में न्यायालय के समक्ष उपस्थित है, जिस पर सी.जे.एम. महोदय के हस्ताक्षर एवं न्यायालय की सील लगी है। माल न्यायालय श्रीमान जी के आदेश पर खोला गया। साक्षी ने देखकर बताया कि यह वही माल है, जो मौके पर अभियुक्त से बरामद किया था, जिस पर वस्तु प्रदर्श– 1 डाला गया।

10. अभियोजन साक्षी/ एफ०आई०आर० लेखक, महिला कांस्टेबल अर्चना सिंह पी०डब्ल्यू०–2 द्वारा अपनी मुख्य परीक्षा में सशपथ यह कथन किया गया है कि घटना दिनांक 29.08.2022 को थाना फुरसतगंज में बतौर कांस्टेबिल मोहर्रिर कार्यालय में कार्यलेख पर मौजूद थी। उसे उप निरीक्षक महेश प्रसाद द्वारा एक फर्द बरामदगी दी गई, जिसमें 01 किलो

100 ग्राम गांजा त्रिपुरारी गिरि पुत्र श्याम गिरि से बरामद होना अंकित था। उसके समक्ष माल मुकदमा व माल नमूना सील सर मोहर अवस्था में तथा सहमति पत्र तथा गिरफ्तारी मेमो व नमूना मोहर आया था, जिसे माल खाना रजिस्टर पर दर्ज करवा कर माल खाने में यथास्थान रखा गया था। थाना प्रभारी के आदेश पर सी.सी.टी.एन.एस. कर्मचारी से फर्द के आधार पर बोल– बोलकर चिक टाइप कराई थी, जो मुकदमा अपराध संख्या 24/2022 दिनांकित 29.08.22 समय 13.03 बजे धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट पंजीकृत होकर तैयार हुआ। पत्रावली में संलग्न चिक 3क/1 ता 3क/2 है, जिसे देखकर व पढ़कर साक्षी ने कहा चिक वैसा ही लिखा है, जैसा उसने बोलकर लिखवाया था। वैसा ही लगा है। जिस पर प्रदर्श क– 4 डाला गया। मामले की कायमी उसके द्वारा बोलने पर सी.सी.टी.एन.एस. कर्मी द्वारा चिक कायमी टाइप की है, जिसका कंप्यूटर जी.डी. नंबर 35 है, दिनांकित 29.08.22, 13.03 बजे, जिसकी प्रति पत्रावली में संलग्न कागज संख्या 15क/3 है। कायमी पर वैसा ही लिखा है, जो उसने बोलकर टाइप कराया था, जिस पर प्रदर्श क– 5 डाला गया। उसके बयान विवेचक ने लिया था।

11. अभियोजन साक्षी/विवेचक रिटायर्ड उप निरीक्षक सोहन लाल, पी०डब्ल्यू०–3 द्वारा अपनी मुख्य परीक्षा में सशपथ यह कथन किया गया है कि दिनांक 29.08.22 को थाना फुरसतगंज में बतौर उप निरीक्षक तैनात था। थाना प्रभारी के आदेश पर मुकदमा अपराध संख्या 24/2022 धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट की विवेचना किए जाने का आदेश प्राप्त हुआ, जो उसके द्वारा ग्रहण किया गया। उक्त तिथि में थाना कार्यालय से प्राप्त नकल चिक, नकल रपट, गिरफ्तारी मेमो, सहमति पत्र का अवलोकन किया तथा एफ.आई.आर. लेखक व वादी मुकदमा व अभियुक्त का बयान अंकित किया। दिनांक 30.08.22 को वादी मुकदमा को साथ लेकर घटनास्थल का निरीक्षण किया गया। उसकी निशांदेही पर मौके की स्थिति को अपने नक्शा नजरी में यथा स्थान प्रदर्शित किया है, जो पत्रावली में संलग्न कागज सं. 6 क/1 है, जिसे देखकर साक्षी ने अपने हस्तलेख व हस्ताक्षर में होने की पुष्टि की, जिस पर प्रदर्श क– 6 डाला गया। दिनांक 05.09.22 को बयान हेड कांस्टेबिल सोनू यादव तथा माल दाखिल एफ.एस.एल. कार्यालय लखनऊ, कॉन्स्टेबिल विनय कुमार गौतम का बयान अंकित किया। दिनांक 05.09.22 को एफ.एस.एल. की पावती रसीद का अवलोकन किया तथा दिनांक 11.09.22 को उसकी संपूर्ण जांच में फर्द गवाह कांस्टेबिल रंजीत यादव का बयान अंकित किया। वादी मुकदमा फर्द गवाह, निरीक्षण घटनास्थल, अवलोकन सहमति पत्र, गिरफ्तारी मेमो, पावती रसीद के अवलोकन से अभियुक्त त्रिपुरारी गिरि पुत्र श्याम गिरि निवासी ग्राम पिंडारा थाना मुसाफिरखाना जिला अमेठी के विरुद्ध धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट बखूबी साबित है, जिसका चालान जरिए आरोप पत्र 120/22 दिनांकित 11.09.22 को माननीय न्यायालय श्रीमान जी के समक्ष प्रेषित किया था, जो पत्रावली में संलग्न कागज संख्या 5 क/1

ता 5क/4 है, जिस पर बने अपने हस्ताक्षर होने की पुष्टि की, जिस पर प्रदर्श क– 7 डाला गया।

विचारणीय बिन्दु

12. राज्य की ओर से विशेष लोक अभियोजक तथा अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता को सुना एवं पत्रावली का परिशीलन किया।

13. अभियुक्त त्रिपुरारी गिरी के विरुद्ध प्रस्तुत मामले में आरोप अन्तर्गत धारा 8/20 एन०डी०पी०एस० एक्ट के अन्तर्गत विरचित किया गया है। दाण्डिक मामले में अभियोजन को मामले को युक्तियुक्त संदेह से परे साबित करना होता है। अतः उक्त आरोप को युक्तियुक्त संदेह से परे साबित करने का भार अभियोजन पर है।

14. दाण्डिक प्रकरण में प्रथम सूचना रिपोर्ट सम्पूर्ण अभियोजन का आधार होता है। प्रस्तुत मामले में प्रथम सूचना रिपोर्ट संक्षेपतः इस आशय की अंकित करायी गयी है कि दिनांक 29.08.2022 को समय करीब 11.50 बजे अभियुक्त त्रिपुरारी गिरी को पुलिस टीम द्वारा पकड़ा गया तथा अभियुक्त के कब्जे से 01 किलो 100 ग्राम अवैध गांजा की बरामदगी हुई है, जिसको रखने की कोई वैध अनुज्ञप्ति अभियुक्त के पास नहीं थी। इस प्रकार अभियुक्त पर 8/20 एन०डी०पी० एस० एक्ट के अन्तर्गत अपराध कारित करने का अभियोग है।

15. अतः इस प्रकरण में विचारणीय बिन्दु यह है कि क्या अभियोजन कथानक के अनुसार अभियुक्त त्रिपुरारी गिरी के कब्जे से 01 किलो 100 ग्राम अवैध गांजा की बरामदगी हुयी है अथवा नहीं ?

अभियोजन व बचाव पक्ष के तर्क

16. बहस के दौरान विद्वान विशेष लोक अभियोजक द्वारा यह कथन किया गया है कि अभियुक्त त्रिपुरारी गिरी को 29.08.2022 को समय 11.50 बजे पुलिस टीम द्वारा पकड़ा गया तथा उसके द्वारा हाथ में लिए प्लास्टिक के थैले में पन्नी में बंधा 01 किलो 100 ग्राम अवैध गांजा की बरामदगी हुई, जिसको रखने की कोई वैध अनुज्ञप्ति उसके पास नहीं थी। अभियोजन द्वारा वादी मुकदमा रिटायर्ड उप निरीक्षक महेश प्रसाद, एफ०आई०आर० लेखक महिला कां0 अर्चना सिंह व विवेचक रिटायर्ड उप निरीक्षक सोहन लाल के साक्ष्य द्वारा अभियुक्त से उक्त बरामदगी को प्रमाणित किया है। इसके अतिरिक्त विधि विज्ञान प्रयोगशाला की रिपोर्ट में भी बरामद वस्तु गांजा पायी गयी है। अभियोजन द्वारा अभियुक्त से गांजा की बरामदगी व स्वापक औषधि एवं मनोत्तेजक पदार्थ अधिनियम के आवश्यक उपबन्धों के अनुपालन को अभियोजन साक्ष्य द्वारा प्रमाणित किया गया है। अभियुक्त के पास से अल्प मात्रा से अधिक अवैध गांजा

बरामद हुयी है। अभियुक्त के विरुद्ध आरोप युक्तियुक्त संदेह से परे प्रमाणित है। अतः अभियुक्त दोषसिद्ध होने योग्य है।

17. अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता द्वारा यह तर्क प्रस्तुत किया गया है कि प्रस्तुत मामले में धारा 50 एन०डी०पी०एस० एक्ट के आज्ञापक प्रावधानों का भी अनुपालन सुनिश्चित नहीं किया गया है। वादी द्वारा गिरफ्तारी व बरामदगी के सम्बन्ध में उच्चाधिकारियों को सूचित नहीं किया गया है। किसी जनता के गवाह अर्थात स्वतंत्र साक्षी को परीक्षित नहीं कराया गया है। अभियोजन द्वारा जो भी साक्षी परीक्षित कराये गये हैं उनसे जिरह में तात्विक विसंगतियां प्रकट हुई हैं। अभियुक्त को झूठा फंसाया गया है। अभियोजन द्वारा मामले को युक्तियुक्त संदेह से परे साबित नहीं किया जा सका है। अतः अभियुक्त दोषमुक्त होने योग्य है।

<u>अभियोजन साक्ष्य का विश्लेषण</u>

18. उभयपक्ष द्वारा प्रस्तुत तर्कों के आलोक में अभियोजन पक्ष द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य का विश्लेषण किया जा रहा है।

19. अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता का प्रथम तर्क यह है कि प्रस्तुत मामले में धारा50 एन०डी०पी०एस०एक्ट के प्रावधानों का अनुपालन नहीं किया गया है।

20. विद्वान विशेष लोक अभियोजक द्वारा यह तर्क प्रस्तुत किया गया कि धारा50 एन०डी०पी०एस० एक्ट के प्रावधानों का अनुपालन किया गया है। बरामद शुदा माल अभियुक्त त्रिपुरारी गिरी के द्वारा हाथ में लिए प्लास्टिक के थैले से बरामद हुआ है तथा हाथ में लिए हुए प्लास्टिक के थैले से की गयी मादक पदार्थ की बरामदगी में धारा 50 एन०डी०पी०एस० अधिनियम के प्राविधान लागू नहीं होते हैं।

21. धारा 50 (1) स्वापक औषधि और मनः प्रभावी पदार्थ अधिनियम 1985 के अनुसार,

"When any officer duly authorised under Section 42 is about to search any person under the provisions of Section 41, Section 42 or Section 43, he shall, if such person so requires, take such person without unnecessary delay to the nearest Gazetted Officer of any of the departments mentioned in Section 42 or to the nearest Magistrate."

22. यहां यह बिन्दु महत्वपूर्ण है कि धारा 50 एन०डी०पी०एस० एक्ट पुलिस अधिकारी के ऊपर यह कर्त्तव्य अधिरोपित करता है कि जब वह व्यक्ति तलाशी लेने जायेगा तो अभियुक्त को उसके इस अधिकार की सूचना देगा कि उसे यह विकल्प प्राप्त है कि वह अपनी तलाशी राजपत्रित अधिकारी या मजिस्ट्रेट के समक्ष करा सकता है। इसके अनुपालन न होने की स्थिति में अभियुक्त की दोषमुक्ति की जा सकती है। यहां यह बिन्दु भी महत्वपूर्ण है कि धारा50

एन०डी०पी०एस०एक्ट के प्रावधानों का अनुपालन किया गया है अथवा नहीं इसका निर्धारण अभियोजन द्वारा पत्रावली पर प्रस्तुत साक्ष्य के आधार पर ही किया जाना है।

23. इस संबंध में अभियोजन के सबसे महत्वपूर्ण अभिलेख फर्द बरामदगी प्रदर्श क–3 का उल्लेख समीचीन होगा, जिसके अनुसार "...... वादी मुकदमा उ0नि0 मय हमराह मु०आ० सोनू यादव व आरक्षी रंजीत सिंह के बहवाले रो० आ० तारीखी इमरोजा रवाना होकर देखभाल क्षेत्र, रोकथाम जुर्म जरायम व चेकिंग संदिग्ध वाहन / व्यक्तियों के थाना हाजा से रवाना होकर कस्बा फुरसतगंज में स्टेशन रोड तिराहे पर चेकिंग कर रहे थे कि मुखबिर खास ने आकर सूचना दिया कि एक व्यक्ति ब्रह्मनी गाँव की तरफ से एक प्लास्टिक के थैले में अवैध गाँजा लेकर आ रहा है, जो सफेद टी शर्ट व हाफ पैंट पहने है, जो मुख्य मार्ग रायबरेली गौरीगंज की तरफ आ रहा है। जल्दी किया जाये तो पकड़ा जा सकता है। मुखबिर की सूचना पर विश्वास कर हमराहीगणों को मकसद से अवगत कराकर एक– दूसरे की जामा तलाशी आपस में लेकर कि किसी के पास कोई संदिग्ध वस्तु नहीं है, मुखबिर को साथ लेकर ब्रह्मनी मोड़ की तरफ आया तो ब्रह्मनी मोड़ से पहले मुखबिर ने इशारा कर बताया कि मोड़ के पास खड़ा व्यक्ति हाथ में झोला लिए खड़ा है, वही व्यक्ति है और मुखबिर पीछे मुड़कर चला गया। पुलिस वाले जैसे ही उस व्यक्ति के पास पहुंचकर अपने– अपने वाहन खड़े किये तो वह व्यक्ति पुलिस वालों को देखकर ब्रह्मनी की तरफ भागने की कोशिश किया कि पुलिस वालों ने घेर– घार कर मुख्य मार्ग से ब्रह्मनी की तरफ करीब 20–25 आगे पकड़ लिया। पकड़े हुए व्यक्ति का नाम पता पूछते हुए हाथ में लिए झोले के संबन्ध में पूछा गया तो उसने अपना नाम त्रिपुरारी गिरी पुत्र श्याम गिरी निवासी पिण्डारा थाना मुसाफिरखाना जनपद अमेठी बताते हुए माफी मांगने लगा और बताया कि साहब माफ कर दीजिए, मेरे हाथ में जो प्लास्टिक का थैला है, उसमे अवैध गांजा है। पकड़े गये व्यक्ति को धारा 50 NDPS ACT में प्रदत्त अधिकारों से अवगत कराते हुए बताया गया कि आप अपने पास गांजा होने की बात बता रहे हो तो अब आपकी जामा तलाशी किसी राजपत्रित अधिकारी या मजिस्ट्रेट के समक्ष होगी तो वादी मुकदमा उ0नि0 द्वारा राजपत्रित अधिकारी व मजिस्ट्रेट से सम्पर्क करने का प्रयास किया गया, परन्तु सम्पर्क नहीं हो इतने में पकड़े गये व्यक्ति त्रिपुरारी गिरी ने कहा मैं पकड़ गया हूं और आपको सही – सही बता भी दिया है। मैं कहीं जाकर अपनी तलाशी देकर और साक्ष्य इकट्ठा नहीं करना चाहता हूँ। आप ही मेरी जामा तलाशी ले लें, मैं आपकी जामा तलाशी से सन्तुष्ट हूँ। मैं सहमति दे रहा हूँ। पकड़े गये व्यक्ति से सहमति पत्र तैयार कर हस्ताक्षर बनवाया गया। पकड़े गये व्यक्ति को जुर्म व धारा से अवगत कराते हुए समय 11.50 बजे हिरासत पुलिस लेकर हाथ में लिए झोले में देखा गया तो उसमें पन्नी में बंधा गांजा बरामद हुआ ...."

24. पत्रावली में संलग्न सहमति पत्र प्रदर्श क–1 में यह उल्लिखित है कि " मैं त्रिपुरारी गिरी पुत्र श्याम गिरी नि0 पिन्डारा थाना मुसाफिरखाना जिला अमेठी आज दिनांक 29.08.2022

को समय करीब 12 बजे थाना फुरसतगंज पुलिस द्वारा मेरे कब्जे से अवैध गांजा पकड़े जाने पर मैं अपनी जामा तलाशी की सहमति देता हूं। "

25. इस सहमति पत्र के लेख के नीचे अभियुक्त त्रिपुरारी गिरी के हस्ताक्षर हैं तथा उस पर कोई दिनांक अंकित नहीं है।

26. इस संबंध में वादी मुकदमा रिटायर्ड उप निरीक्षक महेश प्रसाद पी०डब्लू०–1 ने अपनी सशपथ मुख्य परीक्षा में कथन किया है कि "………. दिनांक 29.08.2022 को थाना फुरसतगंज में बतौर उप निरीक्षक तैनात था। उक्त तिथि में उसके हमराह के रूप में मुख्य आरक्षी सोनू यादव, कां0 रंजीत सिंह के साथ थाने से रवाना होकर जांच संदिग्ध व्यक्ति व वाहन फुरसतगंज कस्बे में स्टेशन रोड तिराहे पर मुखबिर ने सूचना दिया था कि एक व्यक्ति ब्रह्मनी गांव की तरफ से प्लास्टिक के थैले में गांजा लेकर आ रहा है, जो सफेद टी–शर्ट व हाफ पैंट पहने है, जो रायबरेली– गौरीगंज की तरफ आ रहा है। मुखबिर की सूचना पर विश्वास करके हमराहीगण को सूचना से अवगत कराया तथा एक दूसरे की जामा तलाशी ले देकर इत्मिनान किया कि किसी के पास कोई अवैध वस्तु नहीं है और ब्रह्मणी मोड़ से पहले मुखबिर ने मोड़ के पास जो झोला लिए व्यक्ति खड़ा है, उसी के पास गांजा है, बता कर मुखबिर चला गया। जैसे ही वे लोग अपने– अपने वाहन उसके पास खड़ा किया, वह उन लोगों को देखकर ब्रह्मणी गांव की तरफ भागने लगा। जिसे उन लोगों ने 20 से 25 कदम की दूरी पर दौड़ा कर पकड़ लिया। पकड़े गए व्यक्ति से नाम पता व भागने का कारण पूछा गया तो अपना नाम त्रिपुरारी गिरी पुत्र श्याम गिरी निवासी पिण्डारा थाना मुसाफिरखाना जनपद अमेठी बताया और कहा कि साहब मेरे पास जो प्लास्टिक थैला है, इसमें गांजा है, जिससे पकड़े जाने के कारण भाग रहा था। व्यक्ति के द्वारा मादक पदार्थ की जानकारी होने पर धारा 50 एनडीपीएस एक्ट के अंतर्गत उसके अधिकारों से अवगत कराया कि आपकी जामा तलाशी किसी राजपत्रित अधिकारी/ मजिस्ट्रेट के समक्ष चलकर या उन्हें यहां बुलाकर दे दो। उसके मना करने पर उसके द्वारा सहमति पत्र तैयार कर, पढ़कर, सुनाकर उसके हस्ताक्षर बनवाए थे। सहमति पत्र शामिल पत्रावली 10 क, जिसे देखकर साक्षी ने अपने हस्तलेख में होने की पुष्टि किया, जिस पर प्रदर्श क– 1 डाला गया। तत्पश्चात उसके द्वारा उसकी जामा तलाशी ली गई तो हाथ में लिए झोले को खोलकर देखा गया तो पन्नी में गांजा बरामद हुआ। ………." अपनी प्रतिपरीक्षा में उसने कथन किया कि जामा तलाशी के समय कोई राजपत्रित अधिकारी या मजिस्ट्रेट उपस्थित नहीं थे। सहमति पत्र उसने तैयार किया था। इस पर उसके हस्ताक्षर नहीं हैं। उसने धारा 50 एन०डी०पी०एस० एक्ट के प्रावधानों का पालन किया था।

27. प्रस्तुत प्रकरण के तथ्यों तथा पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेखीय व मौखिक साक्ष्यों के आलोक में धारा 50 एन०डी०पी०एस० एक्ट के संबंध में माननीय उच्चतम न्यायालय के कतिपय विधिक दृष्टांतों का उल्लेख भी समीचीन होगा।

28. माननीय उच्चतम न्यायालय की संविधान पीठ द्वारा विधि व्यवस्था **पंजाब राज्य बनाम बलदेव सिंह (1999) 6 एस०सी०सी० 172** में यह अवधारित किया गया है कि- "On the basis of the reasoning and discussion above, the following conclusions arise: (1) That when an empowered officer or a duly authorised officer acting on prior information is about to search a person, it is imperative for him to inform the concerned person of his right under Sub-section (1) of Section 50 of being taken to the nearest Gazetted Officer or the nearest Magistrate for making the search. However, such information may not necessarily be in writing; (2) That failure to inform the concerned person about the existence of his right to be searched before a Gazetted Officer or a Magistrate would cause prejudice to an accused; (3) That a search made, by an empowered officer, on prior information, without informing the person of his right that, if he so requires, he shall be taken before a Gazetted Officer or a Magistrate for search and in case he so opts, failure to conduct his search before a Gazetted Officer or a Magistrate, may not vitiate the trial but would render the recovery of the illicit article suspect and vitiate the conviction and sentence of an accused, where the conviction has been recorded only on the basis of the possession of the illicit article, recovered from his person, during a search conducted in violation of the provisions of Section 50 of the Act; (4) That there is indeed need to protect society from criminals. The societal intent in safety will suffer if persons who commit crimes are let off because the evidence against them is to be treated as if it does not exist. The answer, therefore, is that the investigating agency must follow the procedure as envisaged by the statute scrupulously and the failure to do so must be viewed by the higher authorities seriously inviting action against the concerned official so that the laxity on the part of the investigating authority is investigating authority is curbed. In every case the end result is important but the means to achieve it must remain above board. The remedy cannot be worse than the disease itself. The legitimacy of judicial process may come under cloud if the court is seen to condone acts of lawlessness conducted by the investigating agency during search operations and may also undermine respect for law and may have the effect of unconscionably compromising the administration of justice. That cannot be permitted. An accused is entitled to a fair trial. A conviction resulting from an unfair trial is contrary to our concept of justice. The use of evidence collected in breach of the safeguards 50 have by Section 50 at the trial, would render the trial unfair. (5) That whether or not the safeguards

provided in Section 50 have been duly observed would have to be determined by the Court on the basis of evidence led at the trial. Finding on that issue, one way or the other, would be relevant for recording an order of conviction or acquittal. Without giving an opportunity to the prosecution to establish, at the trial, that the provisions of Section 50, and particularly the safeguards provided therein were duly complied with, it would not be permissible to cut- sho rt a criminal trial; (6) That in the context in which the protection has been incorporated in Section 50 for the benefit of the person intended to be searched, we do not express any opinion whether the provisions of Section 50 are mandatory or directory, but, hold that failure to inform the concerned person of his right as emanating from Sub-section (1) of Section 50, may render the recovery of the contraband suspect and the conviction and sentence of an accused bad and unsustainable in law; (7) That an illicit article seized from the person of an accused during search conducted in violation of the safeguards provided in Section 50 of the Act cannot be used as evidence of proof of unlawful possession of the contraband on the accused though any other material recovered during that search may be relied upon by the prosecution, in other proceedings, against an accused, notwithstanding the recovery of that material during an illegal search; (8) A presumption under Section 54 of the Act can only be raised after the prosecution has established that the accused was found to be in possession of the contraband in a search conducted in accordance with the mandate of Section 50. An illegal search cannot entitle the prosecution to raise a presumption under Section 54 of the Act."

29. माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा एक अन्य विधि व्यवस्था **रंजन कुमार चड्ढा बनाम हिमाचल प्रदेश राज्य दाण्डिक अपील संख्या 2239-2240/2011 निर्णय दिनांकित 06.10.2023** में यह अवधारित किया गया है कि --

"उपरोक्त चर्चा से, धारा 50 द्वारा परिकल्पित आवश्यकताओं को निम्नानुसार संक्षेप में प्रस्तुत किया जा सकता है: -

(i) धारा 50 अधिकार और दायित्व दोनों प्रदान करती है।

जिस व्यक्ति की तलाशी ली जानी है उसे यह अधिकार है कि यदि वह चाहे तो राजपत्रित अधिकारी या मजिस्ट्रेट की उपस्थिति में अपनी तलाशी ले सकता है और पुलिस अधिकारी का यह दायित्व है कि वह व्यक्ति की तलाशी लेने से पहले ऐसे व्यक्ति को इस अधिकार के बारे में सूचित करे।

(ii) जहां, जिस व्यक्ति की तलाशी ली जानी है वह इस अधिकार का प्रयोग करने से इनकार करता है, पुलिस अधिकारी तलाशी जारी रखने के लिए स्वतंत्र होगा। हालाँकि, यदि संदिग्ध राजपत्रित अधिकारी या मजिस्ट्रेट के समक्ष तलाशी के अपने अधिकार का प्रयोग करने से

इनकार करता है, तो अधिकार प्राप्त अधिकारी को संदिग्ध से यह लिखित में लेना चाहिए कि वह राजपत्रित अधिकारी या मजिस्ट्रेट के समक्ष तलाशी के अपने अधिकार का प्रयोग नहीं करना चाहेगा और अधिकार प्राप्त अधिकारी द्वारा उसकी तलाशी ली जा सकती है।

(iii) तलाशी लेने से पहले, इसे स्पष्ट शब्दों में सूचित किया जाना चाहिए, हालांकि इसे लिखित रूप में होने की आवश्यकता नहीं है और मौखिक रूप से यह बताने की अनुमति है, कि संदिग्ध को राजपत्रित अधिकारी या मजिस्ट्रेट द्वारा तलाशी लेने का अधिकार है।

(iv) अधिकार की सूचना देते समय, राजपत्रित अधिकारी या मजिस्ट्रेट की उपस्थिति में तलाशी लेने के केवल दो विकल्प दिए जाने चाहिए, जो स्वतंत्र भी होना चाहिए और किसी भी तरह से छापा मारने वाली पार्टी से जुड़ा नहीं होना चाहिए।

(v) यदि कई व्यक्तियों की तलाशी ली जानी है, तो उनमें से प्रत्येक को व्यक्तिगत रूप से अपने अधिकार के बारे में सूचित करना होगा, और प्रत्येक को अपनी क्षमता में इसका प्रयोग करना होगा या छोड़ना होगा। इस अधिकार का कोई भी संयुक्त या सामान्य संचार धारा 50 का उल्लंघन होगा ।

(vi) जहां धारा 50 के तहत अधिकार का प्रयोग किया गया है, यह पुलिस अधिकारी की पसंद है कि वह संदिग्ध को राजपत्रित अधिकारी या मजिस्ट्रेट के सामने ले जाए या नहीं, लेकिन उसे निकटतम मजिस्ट्रेट के सामने ले जाने का प्रयास किया जाना चाहिए।

(vii) धारा 50 केवल एनडीपीएस अधिनियम के प्रावधानों के तहत संदिग्ध व्यक्ति की तलाशी के मामले में लागू होती है, और इसका कोई उपयोग नहीं होगा जहां किसी अपराध के संबंध में किसी अन्य कानून के तहत तलाशी ली गई हो।

(viii) जहां एनडीपीएस अधिनियम के अलावा किसी अन्य कानून के तहत तलाशी के दौरान, एनडीपीएस अधिनियम के तहत कोई प्रतिबंधित वस्तु भी बरामद की जाती है, तो एनडीपीएस अधिनियम से संबंधित प्रावधान तुरंत लागू होने लगेंगे, हालांकि ऐसी स्थिति में धारा 50 लागू नहीं हो सकती है। इस कारण से अनुपालन करना आवश्यक है कि बरामदगी पहले ही आयोजित की जा चुकी थी।

(ix) अभियोजन पक्ष पर यह स्थापित करने का दायित्व है कि तलाशी लेने से पहले धारा 50 द्वारा लगाए गए दायित्व का विधिवत पालन किया गया था।

(x) कोई भी आपत्तिजनक सामग्री, जिसका कब्ज़ा एनडीपीएस अधिनियम के तहत दंडनीय है और धारा 50 के उल्लंघन में बरामद किया गया है, अस्वीकार्य होगा और अभियोजन पक्ष द्वारा मुकदमे में उस पर भरोसा नहीं किया जा सकता है, हालांकि, यह मुकदमे के संबंध में मुकदमे को ख़राब नहीं करेगा। वही। कोई भी अन्य वस्तु जो बरामद की गई है उस पर किसी अन्य स्वतंत्र कार्यवाही में भरोसा किया जा सकता है।"

30. माननीय उच्चतम न्यायालय ने संविधान पीठ द्वारा पारित विधिक दृष्टांत **विजय चन्दुभा जडेजा बनाम गुजरात राज्य ए०आई०आर० 2011 सु०को० 77** में विशेष रूप से इस प्रश्न पर विचार करते हुये यह अवधारण दिया है कि " In view of the foregoing discussion, we are of the firm opinion that the object with which right under Section 50(1) of the NDPS Act, by way of a safeguard, has been conferred on the suspect, viz. to check the misuse of power, to avoid harm to innocent persons and to minimise the allegations of planting or foisting of false cases by the law enforcement agencies, it would be imperative on the part of the empowered officer to apprise the person intended to be searched of his right to be searched before a gazetted officer or a Magistrate. We have no hesitation in holding that in so far as the obligation of the authorised officer under sub-section (1) of Section 50 of the NDPS Act is concerned, it is mandatory and requires a strict compliance. Failure to comply with the provision would render the recovery of the illicit article suspect and vitiate the conviction if the same is recorded only on the basis of the recovery of the illicit article from the person of the accused during such search. Thereafter, the suspect may or may not choose to exercise the right provided to him under the said provision."

31. इस प्रकार उपरोक्त विधिक दृष्टांतों के आलोक में यह उल्लेख करना आवश्यक है कि धारा 50 एन.डी. पी.एस.एक्ट के अन्तर्गत जो व्यवस्थापिका ने अभियुक्त को व्यवस्था प्रदत्त की है उसमें यह अवधारित किया गया है कि यदि अभियुक्त को धारा 50 एन.डी.पी.एस. एक्ट में प्रदत्त अधिकारों के विषय में संसूचित नहीं किया गया है तो एन.डी.पी.एस.एक्ट के बरामदगी का साक्ष्य अत्यन्त संदिग्ध हो जाएगा और जो भी अवैध मादक पदार्थो की बरामदगी की गयी है। उस साक्ष्य का अभियुक्त के विरूद्ध प्रयोग नहीं किया जा सकता है। साथ ही अधिनियम में अपराध कारित किये जाने विषयक उपधारणा जो धारा 54 एन.डी.पी.एस.एक्ट में प्रावधानित की गयी है वह भी उसी दशा में लागू होगी, जब अभियोजन यह सिद्ध कर दे कि धारा 50 एन.डी.पी.एस.एक्ट का अनुपालन करने के पश्चात तलाशी लिया गया था और उसी के उपरान्त अवैध मादक पदार्थ द्रव्य या मादक पदार्थ की बरामदगी की गयी थी।

32. प्रस्तुत प्रकरण में फर्द बरामदगी के अवलोकन से यह विदित होता है कि अभियुक्त त्रिपुरारी गिरी को पुलिस टीम द्वारा गश्त व क्षेत्र भ्रमण के दौरान मुखबिर से मिली सूचना के आधार पर ब्रह्मनी मोड़ पर मय झोला पकड़ा गया था। अभियुक्त को पकड़े जाने के पूर्व मुखबिर द्वारा तथा अभियुक्त को पकड़े जाने के बाद स्वयं अभियुक्त द्वारा अपने पास गांजा होने की जानकारी दी गयी थी, तब उसे मजिस्ट्रेट अथवा राजपत्रित अधिकारी से उसकी जामा तलाशी लिये जाने के बारे में बताया गया। अभियुक्त द्वारा मना करने पर उससे सहमति पत्र लेकर उसकी जामा तलाशी ली गयी, जिसमें अभियुक्त द्वारा हाथ में लिए प्लास्टिक के थैले में पन्नी में

बंधा अवैध गांजा बरामद हुआ। इस प्रकार गांजा की जानकारी मिलने के उपरांत अभियुक्त को धारा 50 एन०डी०पी०एस० अधिनियम के अंतर्गत यह बताया गया कि वह अपनी तलाशी किसी मजिस्ट्रेट या राजपत्रित अधिकारी के समक्ष दे सकता है, किन्तु अभियुक्त द्वारा पुलिस टीम को ही तलाशी लेने पर सहमति दी गयी। तब सहमति पत्र तैयार कर उसकी जामा तलाशी ली गयी तो उसके द्वारा हाथ में लिए झोले में पन्नी में बंधा गांजा बरामद हुआ।

33. सहमति पत्र प्रदर्श क–1 में अभियुक्त को जामा तलाशी के संबंध में उसके अधिकारों के विकल्प की जानकारी देने का कोई भी उल्लेख नहीं है तथा न ही उन अधिकारों के प्रयोग अथवा अभित्यजन का उल्लेख है, बल्कि वादी मुकदमा को ही स्वेच्छया जामा तलाशी देने पर सहमति लिखवायी गयी है। इस सहमति पत्र में कहीं से भी अभियुक्त द्वारा स्वतंत्र रूप से सहमति दिया जाना परिलक्षित नहीं होता है तथा इसमें लिखे कथन कहीं से भी अभियुक्त द्वारा किसी राजपत्रित अधिकारी अथवा मजिस्ट्रेट से अपनी तलाशी कराये जाने के अधिकार को स्वतंत्र रूप से अभित्यजन किये जाने को इंगित नहीं करते हैं, बल्कि पुलिस द्वारा अभियुक्त की जामा तलाशी लिये जाने की सहमति को दर्शित करते हैं, जिससे इस प्रकरण में पुलिस द्वारा एन०डी०पी०एस० अधिनियम के अंतर्गत की गयी तलाशी व बरामदगी की संपूर्ण कार्यवाही दूषित हो जाती है, जिसके कारण संपूर्ण अभियोजन कथानक की विश्वसनीयता पर प्रश्नचिह्न लग जाता है। यह भी उल्लेखनीय है कि मुखबिर से अवैध गांजा अभियुक्त के पास होने की सूचना मिलने के उपरांत भी वादी मुकदमा द्वारा अभियुक्त को पकड़े जाने के बाद, उसके पास गांजा होने की पूर्व सूचना होने की दशा में, उसे तुरंत ही धारा 50 एन०डी०पी०एस० एक्ट के अधिकारों से अवगत नहीं कराया गया, बल्कि अभियुक्त द्वारा उसके पास गांजा होने के तथ्य का उल्लेख करने पर उसे राजपत्रित अधिकारी या मजिस्ट्रेट के समक्ष तलाशी देने के बारे में बताया गया। सहमति पत्र में भी अभियुक्त को उसके अधिकारों के विकल्प की जानकारी देने के पूर्व ही उसे गांजा सहित पकड़े जाने का तथ्य अंकित कर दिया गया, जिससे यह सहमति पत्र स्वतंत्र व निष्पक्ष सहमति को इंगित नहीं करता है।

34. जहां तक अभियोजन का यह तर्क कि हाथ में लिए प्लास्टिक के थैले की तलाशी के दौरान मिले मादक पदार्थ के प्रकरण में धारा 50 एन०डी०पी०एस० अधिनियम के प्रावधान लागू नहीं होते हैं, इस संबंध में **राजस्थान राज्य बनाम परमानंद व अन्य (2014) 2 सुप्रीम कोर्ट केसेज (क्रि०) 563** में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा यह अभिनिर्धारित किया गया है कि यदि व्यक्ति द्वारा लिये गये बैग की, बिना उसके व्यक्तिगत तलाशी के, तलाशी ली गयी हो तो धारा 50 का कोई प्रभाव नहीं होगा, किन्तु यदि उसके द्वारा लिये गये बैग कि तलाशी ली जाती है और उसकी व्यक्तिगत तलाशी भी ली जाती है तो धारा 50 एन०डी०पी०एस० अधिनियम प्रभावी होगा। यद्यपि इस प्रकरण में अभियुक्त के पास अवैध मादक पदार्थ होने की जानकारी पुलिस टीम को मुखबिर द्वारा तथा स्वयं अभियुक्त द्वारा पहले ही दी गयी थी, किन्तु

फर्द बरामदगी व अभियोजन साक्ष्य से यह स्पष्ट है कि, इस जानकारी के उपरांत भी पुलिस टीम द्वारा झोले के साथ–साथ, अभियुक्त की भी जामा तलाशी ली गयी, जिसके कारण जामा तलाशी के समय धारा 50 एन०डी०पी०एस० एक्ट के प्रावधान का अनुपालन आवश्यक था, किन्तु इस प्रकरण में पुलिस के द्वारा बरामदगी के समय धारा 50 एन०डी०पी०एस० एक्ट का अनुपालन किया जाना दृष्टिगोचर नहीं होता है।

35. इसके अतिरिक्त, अभियुक्त को मौखिक रूप से उसकी जामा तलाशी किसी राजपत्रित अधिकारी अथवा मजिस्ट्रेट से कराने के संबंध में बताने के उपरांत सहमति पत्र में स्वेच्छा से मौके पर मौजूद पुलिस से ही जामा तलाशी करा लेने का तथ्य अंकित करा लिया गया, जबकि फर्द बरामदगी के अनुसार, घटना के समय अवैध मादक पदार्थ रखने के कारण पुलिस पार्टी को देखकर बचकर भागने पर पुलिस द्वारा पकड़ लिये जाने के उपरान्त, उसी पुलिस पार्टी पर तुरंत ही विश्वास करके अपनी जामा तलाशी कराने के लिए अभियुक्त द्वारा सहमति दे देना युक्तियुक्त तथा तर्कसंगत विदित नहीं होता है।

36. इस प्रकार उपरोक्त विधिक दृष्टांतों के आलोक में प्रकरण के संबंध में पत्रावली में उपलब्ध सामग्री के विश्लेषण से यह सुस्थापित है कि इस प्रकरण में तलाशी व बरामदगी के समय धारा 50 एन०डी०पी०एस० एक्ट का पूर्णतया अनुपालन प्रमाणित नहीं होता है, जिसके कारण धारा 54 एन०डी०पी०एस० एक्ट की अवधारणा अभियुक्त के लिए नहीं की जा सकती है और कथित बरामदगी अभियुक्त के विरुद्ध दोषसिद्धि के लिए उपयोग किये जाने योग्य नहीं पायी जाती है।

37. अब इस स्तर पर अभियोजन कथानक से सम्बन्धित शेष साक्ष्य का विश्लेषण समीचीन होगा।

38. बचाव पक्ष की ओर से यह तर्क दिया गया कि प्रस्तुत प्रकरण में किसी स्वतंत्र साक्षी अथवा जनता के गवाह को परीक्षित नहीं कराया गया है, जिससे सम्पूर्ण प्रकरण अभियुक्त को फंसाने हेतु बनाया जाना स्पष्ट है।

39. इस संबंध में विद्वान विशेष लोक अभियोजक द्वारा यह तर्क प्रस्तुत किया गया है कि जनता के साक्षी गवाही हेतु तैयार नहीं हुए। अभियोजन द्वारा परीक्षित साक्षीगण के साक्ष्य के आधार पर मामले को साबित किया गया है।

40. जहां तक अभियोजन द्वारा स्वतंत्र साक्षियों को परीक्षित न कराये जाने का प्रश्न है, इस संबंध में फर्द बरामदगी में यह अंकित है कि माल कब्जा पुलिस लेकर गवाही हेतु वहां खड़े राहगीरों से गवाही हेतु कहा गया तो खड़े राहगीर अपना नाम पता बताये बिना हट बढ़ गये।

41. वादी मुकदमा रिटायर्ड उप निरीक्षक महेश प्रसाद पी०डब्ल्यू०–1 द्वारा अपनी मुख्य परीक्षा में स्वतंत्र गवाहों से गवाही कराये जाने के संबंध में कोई कथन नहीं किया गया है। अपनी प्रतिपरीक्षा में उसने कथन किया है कि ब्रह्मनी गांव में लगभग 80– 90 मकान बने हुए हैं। उस

समय कोई पब्लिक का गवाह मौजूद नहीं था। माल की तौल करते समय कोई राजपत्रित अधिकारी या स्वतंत्र गवाह नहीं थे।

42. प्रकरण के विवेचक, रिटायर्ड उप निरीक्षक सोहन लाल द्वारा दौरान विवेचना मौके पर स्थलीय निरीक्षण के समय किसी स्वतंत्र साक्षी से पूछताछ नहीं की गयी और न ही मुख्य परीक्षा में इस संबंध में कोई कथन किया गया। अपनी प्रतिपरीक्षा में विवेचक पी०डब्लू० 3 ने कथन किया कि मौके का नक्शा नजरी उसने बनाया था। जब वह घटनास्थल पर गया तो उसने पब्लिक के लोगों से पूछताछ नहीं की।

43. फर्द बरामदगी के अवलोकन से यह विदित होता है कि प्रस्तुत प्रकरण में ब्रह्मनी मोड़ पर, समय 11.50 बजे दिनांक 29.08.2022 को अभियुक्त को पकड़ा गया था। जिस समय आम जनता का आवागमन सामान्यतया होता रहता है। नक्शा नजरी प्रदर्श क–6 के अवलोकनानुसार अभियुक्त को पकड़े जाने वाले स्थान के आसपास पान की गुमटियां दर्शायी गयी हैं, जो कि कथित घटना के समय निश्चित ही खुली रही होंगी। यद्यपि मात्र जनता के साक्षी या स्वतंत्र साक्षी के साक्ष्य न देने के कारण ही पुलिस द्वारा की गयी बरामदगी को संदेह की दृष्टि से हमेशा नहीं देखा जाना चाहिए, किन्तु जिन परिस्थितियों में इस प्रकरण में बरामदगी की गयी उनके आलोक में पुलिस द्वारा की गयी बरामदगी को सतर्कता एवं सावधानीपूर्वक विश्लेषित किया जाना चाहिए। वादी मुकदमा पी०डब्लू० 1 ने अपनी साक्ष्य में स्वतंत्र जन साक्षियों को बरामदगी व गिरफ्तारी का साक्षी बनाये जाने के संबंध में कोई कथन नहीं किया है। गिरफ्तारी स्थल रायबरेली गौरीगंज पक्की रोड से सटा हुआ है। कथित गिरफ्तारी व बरामदगी दिन में हुयी थी, जिस समय जन सामान्य का आवागमन होता रहता है। यह भी सुस्थापित है कि प्रत्येक मामले में स्वतंत्र गवाही की अपेक्षा किया जाना आज्ञापक नहीं होता है, परंतु वर्तमान प्रकरण में संपूर्ण पत्रावली के अवलोकन से विदित होता है कि इसमें वादी मुकदमा द्वारा घटनास्थल पर बरामदगी व गिरफ्तारी के समय जनता के गवाहों से गवाही कराने के लिए कोई सारवान प्रयास नहीं किया गया और न ही विवेचक द्वारा मौके पर मौजूद जनता के किसी गवाह अथवा आस पास रहने वाले व्यक्तियों की तलाश कर उनसे कोई पूछताछ की गयी तथा न ही उन्हें प्रकरण में साक्षी के रूप में नामित भी नहीं किया गया है। केस डायरी में भी विवेचक द्वारा स्वतंत्र गवाहों से पूछताछ करने का कोई अंकन नहीं किया गया है।

44. स्वतंत्र साक्षियों को अभियोजन द्वारा परीक्षित न कराये जाने के संबंध में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा विधि व्यवस्था **जरनैल सिंह बनाम पंजाब राज्य 2011 सी०आर०एल०जे० 1738** के मामले में यह अभिनिर्धारित किया है कि यदि न्यायालय का यह मत है कि पर्याप्त प्रयास के बावजूद स्वतंत्र साक्षी परीक्षित नहीं हो पाये हैं तो स्वतंत्र साक्षी का परीक्षित न हो पाना गिरफ्तारी एवं बरामदगी को प्रभावित नहीं करता है, किन्तु ऐसे मामलों में

न्यायालय को पुलिस कर्मियों के साक्ष्य की विश्वसनीयता देखने हेतु उनके साक्ष्य का उचित सावधानी एवं सतर्कता के साथ विश्लेषण किया जाना चाहिए।

45. उक्त विश्लेषण से यह स्पष्ट है कि सम्पूर्ण अभियोजन कथानक पुलिस कर्मियों के साक्ष्य पर ही आधारित है तथा किसी स्वतंत्र साक्षी द्वारा फर्द पर गवाही न करने के सम्बन्ध में अभियोजन साक्षीगण द्वारा किये गये कथन विश्वसनीय विदित नहीं होते हैं।

46. बचाव पक्ष द्वारा यह तर्क प्रस्तुत किया गया है कि प्रस्तुत प्रकरण में कथित गांजा की बरामदगी के संबंध में भी अभियोजन साक्ष्य विश्वसनीय नहीं है, जिसका लाभ अभियुक्त को मिलना चाहिए। विवेचक द्वारा त्रुटिपूर्ण नक्शा नजरी बनायी गयी है।

47. उक्त के संदर्भ में फर्द बरामदगी जो सम्पूर्ण अभियोजन का आधार गठित करता है के परिशीलन से दर्शित है कि उक्त में यह अंकित है कि– " ....जिसको मुझ विवेचक के पास इलेक्ट्रानिक तराजू से तौला गया गया तो एक पन्नी में बंधे बन्डल का वजन 01 किलो 100 ग्राम है, जिसमें 100 ग्राम तराजू से तौल कर अलग किया गया। .... बरामद माल व नमूना माल को अलग अलग पन्नी में रखकर सफेद कपड़े में सिलकर सर्व मोहर कर नमूना मोहर बनाया गया।....... "

48. इस संबंध में वादी मुकदमा रिटायर्ड उप निरीक्षक महेश प्रसाद पी०डब्ल्यू०–1 द्वारा अपनी मुख्य परीक्षा में कथन किया गया है कि "......... मौजूद विवेचना किट से गांजे का वजन किया गया तो कुल वजन 01 किलो 100 ग्राम प्राप्त हुआ, जिसमें से 100 ग्राम माल नमूना हेतु अलग कर शेष एक किलोग्राम उसी झोले में रखकर पन्नी में रखकर सफेद कपड़े में रखकर सील सर्व मोहर कर नमूना मोहर तैयार किया था। ...." अपनी प्रतिपरीक्षा में उसने कथन किया है कि तराजू उसके पास मौजूद था।

49. प्रकरण की फर्द बरामदगी के अनुसार अभियुक्त त्रिपुरारी गिरी से बरामद माल को वजन करने के लिए साथ में लिए तौल के विवेचना किट के इलेक्ट्रानिक उपकरण से तौले जाने का उल्लेख है, किन्तु यह तौल प्लास्टिक के थैले के साथ की गयी थी अथवा बरामद माल को प्लास्टिक के थैले व पन्नी से निकालकर वजन किया गया था, का कोई उल्लेख फर्द बरामदगी व अभियोजन साक्ष्य में नहीं है, जिससे मौके पर बरामद माल का वजन की प्रक्रिया दूषित व संदेहास्पद विदित होती है।

50. फर्द बरामदगी में वादी मुकदमा द्वारा स्वयं को विवेचक अभिकथित करते हुए अपने पास रखे इलेक्ट्रानिक तराजू से वजन किये जाने का कथन किया गया है। इसके अतिरिक्त विवेचक द्वारा जो नक्शा नजरी, कागज सं० 6क/1 बनायी गयी है, उसमें अभियुक्त के घटनास्थल पर पहुंचने की दिशा, पुलिस टीम के घटनास्थल पर पहुंचने की दिशा व अभियुक्त के पुलिस को देखकर भागने की दिशा आदि नहीं दर्शायी गयी है, जिससे यह नक्शा नजरी थाने पर बैठकर बनायी गयी विदित होती है। उल्लेखनीय यह भी है कि पत्रावली पर संलग्न अभियुक्त के गिरफ्तारी

मेमो कागज सं० 12क में मेमो के कॉलम सं० 2, जो कि अपराध संख्या, थाना व धारा के विवरण से संबंधित है, में मु०अ०सं०– 124/2022 धारा 8/20 एन०डी०पी०एस० एक्ट व गिरफ्तारी मेमो के अन्य कॉलम एक ही हस्तलेख में लिखे गये दृष्टव्य होते हैं, जिससे यह गिरफ्तारी प्रपत्र भी मौके पर तैयार किया जाना विदित नहीं होता है।

51. पत्रावली पर माल को सील मुहर किये जाने वाली नमूना मुहर दाखिल नहीं है। मौके पर अभियुक्त की जामा तलाशी के पूर्व पुलिस टीम द्वारा स्वयं की जामा तलाशी कराये जाने का कोई उल्लेख फर्द बरामदगी अथवा अभियोजन साक्ष्य में नहीं है, जिससे तलाशी व बरामदगी की कार्यवाही की विश्वसनीयता संदेह के घेरे में है।

52. उपरोक्त विश्लेषण के आधार पर यह कहना समीचीन होगा कि अभियोजन की ओर से फर्द बरामदगी के संबंध में जो साक्षी परीक्षित कराये गये हैं, उनके साक्ष्य में ऐसे गंभीर विरोधाभाष एवं विसंगतियां परिलक्षित हो रही हैं, जो कि अभियुक्त से की गयी बरामदगी व अभियोजन कथानक संदेहास्पद एवं अविश्वसनीय बना देती हैं। अभियोजन कथानक व साक्ष्य की यह विसंगतियां अभियोजन की विश्वसनीयता को गंभीर संदेह के घेरे में रखती हैं। ऐसी दशा में पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य में परिलक्षित विरोधाभाष व विसंगति अभियोजन कथानक के लिए घातक हैं, जिनसे संपूर्ण अभियोजन कथानक विक्षोभित हो जाता है।

53. अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता द्वारा यह तर्क भी प्रस्तुत किया गया है कि वादी मुकदमा द्वारा अभियुक्त से गांजा की बरामदगी की कोई लिखित सूचना अपने उच्चाधिकारियों को दिये जाने का कोई उल्लेख फर्द बरामदगी में नहीं है और न कोई ऐसा प्रपत्र पत्रावली पर उपलब्ध है, जिससे उच्चाधिकारियों को सूचना दिया जाना प्रमाणित होता है। अतः पुलिस के उच्च अधिकारियों को सूचना न दिये जाने के कारण अभियोजन कथानक दूषित है।

54. एन०डी०पी०एस० अधिनियम की धारा 57 में भी यह प्रावधानित है कि जब कोई व्यक्ति इस अधिनियम के अधीन कोई गिरफ्तारी या अधिग्रहण करता है तो ऐसी गिरफ्तारी या अधिग्रहण के पश्चात अगले 48 घण्टों के अंदर ऐसी गिरफ्तारी या अधिग्रहण की सभी विशिष्टियों की एक पूरी रिपोर्ट अपने उच्चाधिकारी को भेजेगा।

55. पत्रावली पर दाखिल प्रदर्श क–5 रोजनामचा संख्या 35 समय 13.03 बजे दिनांकित 29.08.2022 में घटना की सूचना वरिष्ठ अधिकारियों को जरिये आर०टी० सेट दिये जाने का उल्लेख है।

56. अभियोजन द्वारा परीक्षित वादी मुकदमा निरीक्षक महेश प्रसाद पी०डब्लू०–1 द्वारा अपनी मुख्य परीक्षा में इस प्रकरण की सूचना किसी उच्चाधिकारी को लिखित रूप में दिये जाने का कोई उल्लेख नहीं किया गया है।

57. यद्यपि धारा 57 एन०डी०पी०एस० अधिनियम का अनुपालन प्रत्येक प्रकरण में अभियोजन के लिए घातक नहीं होता है किन्तु इस प्रकरण में जहां बरामदगी के स्तर पर वादी

मुकदमा द्वारा बरामद शुदा माल के संबंध में आवश्यक उपबंधों का पालन न किया गया हो, वहां पर धारा 57 एन०डी०पी०एस० अधिनियम का अनुपालन न किया जाना अभियोजन कथानक को संदेहास्पद बनाता है।

58. विधि व्यवस्था **<u>बरसाती यादव बनाम उ०प्र०राज्य 2018(2) जे०आई०सी 760</u>** में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा यह अभिमत प्रस्तावित किया गया है कि– Although compliance of provisions of Section 57 of the NDPS Act is not mandatory but directory– but if the trial court conducting the trial is considering that non-compliance of provisions of Section 57 of the Act resulted in causing prejudice to the accused– then certainly benefit may be given to the accused.

59. इस प्रकरण में जहां अभियुक्त से लगभग 01 किलो 100 ग्राम अवैध गांजा बरामद हुयी है, वहां पर ऐसी बरामदगी की सूचना किसी उच्चाधिकारी को निर्धारित समय से न देना अभियोजन कथानक की विश्वसनीयता पर संदेह उत्पन्न करता है। अतः स्पष्ट है कि सम्पूर्ण अभियोजन कथानक एवं साक्षीगण की साक्ष्य अभियुक्त की गिरफ्तारी एवं उससे बरामदगी की लिखित सूचना उच्चाधिकारियों को देने सम्बन्धी प्रावधान के अनुपालन के सम्बन्ध में मौन हैं। उक्त विश्लेषण के आधार पर अभियुक्त से गांजा की बरामदगी की कोई लिखित सूचना उच्च अधिकारियों को दिया जाना प्रमाणित नहीं है।

60. प्रस्तुत प्रकरण में पत्रावली पर संलग्न विधि विज्ञान प्रयोगशाला की रिपोर्ट, दिनांकित 18.01.2023, प्रदर्श क–8 के अवलोकनानुसार दिनांक 29.08.2022 को अभियुक्त से की गयी कथित गांजा की बरामदगी के उपरांत उसे परीक्षण हेतु विधि विज्ञान प्रयोगशाला लखनऊ में दिनांक 05.09.2022 को प्राप्त कराया गया था। उक्त परीक्षण आख्या दिनांकित 18.01.2023 के अनुसार वस्तावृत्त समुद्रित बण्डल में गांजा की मात्रा 98.6 ग्राम थी, जिसमें विश्लेषण पर गांजा पायी गयी।

61. इसके अतिरिक्त बचाव पक्ष की ओर से अन्य कोई तर्क प्रस्तुत नहीं किये गये।

<u>निष्कर्ष</u>

62. उल्लेखनीय है कि स्वापक औषधि एवं मनोत्तेजक पदार्थ अधिनियम के अन्तर्गत उक्त अधिनियम के प्रावधानों के उल्लंघन पर गम्भीर दण्ड का प्रावधान किया गया है, परन्तु साथ ही साथ इस अधिनियम के गम्भीर दण्ड के प्रावधानों का दुरुपयोग न किया जा सके इसके लिए बचाव के प्रावधान भी अधिनियम में ही दिये गये हैं। इस अधिनियम के अन्तर्गत बचाव के जो

प्रावधान बनाये गये हैं वे अभियुक्त से दर्शायी गयी बरामदगी की शुचिता व शुद्धता सुनिश्चित करने हेतु बनाये गये हैं एवं उक्त प्रावधानों का अनुपालन न करने पर अभियोजन कथानक संदिग्ध हो जाता है।

63. पत्रावली पर उपलब्ध संपूर्ण अभिलेखीय एवं मौखिक साक्ष्य के समग्र विश्लेषण से यह विदित होता है कि प्रस्तुत मामले में अभियोजन द्वारा धारा 50 व धारा 57 एन०डी०पी०एस० एक्ट की औपचारिकताएं पूर्ण रूप से पूरी नहीं की गयी है। प्रकरण में किसी भी स्वतंत्र साक्षी को परीक्षित नहीं कराया गया है। बरामद माल की तौल किये जाने, उसे सील मुहर किये जाने व परीक्षण हेतु नमूना भेजने की प्रक्रिया भी संदेहास्पद है। परीक्षित साक्षीगण से जिरह में ऐसी तात्विक विसंगतियां दर्शित हुई हैं जो बरामदगी व गिरफ्तारी तथा विवेचना की सम्पूर्ण कार्यवाही पर प्रश्नचिह्न लगाती हैं एवं परीक्षित साक्षीगण के साक्ष्य की किसी स्वतंत्र साक्षीगण के साक्ष्य से संपुष्टि भी नहीं करायी गयी है। विवेचक द्वारा बनायी गयी नक्शा नजरी त्रुटिपूर्ण है। बरामद शुदा माल में परीक्षण पर गांजा पाये जाने मात्र से ही न तो अभियोजन अपने दायित्व से उन्मोचित होता है और न ही मात्र प्रयोगशाला की परीक्षण रिपोर्ट के आधार पर ही अभियुक्त को दोषी माना जा सकता है। अभियुक्त से बरामदगी के पश्चात उच्चाधिकारियों को सूचित करने के संबंध में प्रावधानों का अनुपालन भी सुनिश्चित नहीं किया गया है। पत्रावली पर नमूना मोहर दाखिल नहीं है। अभियोजन द्वारा मालखाना रजिस्टर न्यायालय में पेश नहीं किया गया। अभियोजन द्वारा इस आशय का भी कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया कि प्रकरण में बरामद माल मुकदमा, मालखाने में दाखिल होने के उपरांत मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रस्तुत किया गया और फिर उसे मालखाने में दाखिल किया गया। ऐसी दशा में लिंक साक्ष्य प्रस्तुत न करने के कारण मात्र 1100 ग्राम अवैध गांजा की बरामदगी के आधार पर ही अभियोजन कथानक की विश्वसनीयता पुष्ट नहीं होती है।

64. अतः ऐसी स्थिति में न्यायालय के अभिमत में अभियोजन साक्ष्य में विरोधाभाष, असंगतता व अविश्वसनीयता है, जो अभियोजन की सत्यता को संदिग्ध बनाता है, जिसके कारण अपराध कारित किये जाने के विषय में जो उपधारणा धारा 54 एन०डी०पी०एस० अधिनियम में दी गयी है, वह इस प्रकरण में लागू नहीं होती है। अतः समस्त विश्लेषण के आधार पर न्यायालय की राय में अभियोजन अभियुक्त त्रिपुरारी गिरी के विरुद्ध आरोप अन्तर्गत धारा 8/20 एन०डी०पी०एस० एक्ट को युक्तियुक्त संदेह से परे साबित करने में विफल रहा है। तद्नुसार अभियुक्त त्रिपुरारी गिरी अपने विरुद्ध लगाये गये आरोप अंतर्गत धारा 8/20 एन०डी०पी०एस० एक्ट में संदेह का लाभ पाते हुए दोषमुक्त होने योग्य हैं।

आदेश

65. अभियुक्त त्रिपुरारी गिरी पुत्र श्याम गिरी को मु०अ०सं०– 124/2022, अन्तर्गत धारा 8/20 एन०डी०पी०एस० एक्ट, थाना फुरसतगंज, जिला अमेठी के आरोप से दोषमुक्त किया जाता है। उसके बन्धपत्र निरस्त किये जाते हैं व जमानतदारों को उन्मोचित किया जाता है।

66. अभियुक्त त्रिपुरारी गिरी द्वारा धारा 437 ए जा०फौ० के अंतर्गत दाखिल किये गये रु० 25,000/– का निजी बंधपत्र एवं इतनी ही धनराशि के दो प्रतिभूगण अगले छः माह तक प्रभावी रहेंगे।

67. अभियुक्त के कब्जे से कथित बरामदशुदा माल बाद मियाद अपील एवं यदि अपील की जाती है तो अपीलीय न्यायालय के निर्णय के अधीन रहते हुए विधि अनुसार निस्तारित की जाये।

दिनांक- 15.07.2026

(अभिषेक सिन्हा)
अष्टम अपर सत्र न्यायाधीश/ विशेष
न्यायाधीश (एन०डी०पी०एस० एक्ट), रायबरेली।
J.O. Code No.–UP1640

68. निर्णय आज खुले न्यायालय में मेरे द्वारा हस्ताक्षरित एवं दिनांकित कर सुनाया गया।

दिनांक- 15.07.2026

(अभिषेक सिन्हा)
अष्टम अपर सत्र न्यायाधीश/ विशेष
न्यायाधीश (एन०डी०पी०एस० एक्ट), रायबरेली।
J.O. Code No.–UP1640

Digitally signed by ABHISHEK SINHA
Date: 2026.07.15 14:26:47 IST
Reason: Judgement
Location: District and Sessions Court,
Raebareli